महत्वपूर्ण/संशोधन

संख्या- 249(2)/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त पुलिस आयुक्त,
लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।

3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊः दिनांक 11 अप्रैल, 2020

विषयः कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी) /2015-टी0सी0 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0 दिनांक 11 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-249(3)/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0सी0 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in